



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220546
CG-DL-E-16072020-220546

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2074]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/ आषाढ़ 24, 1942

No. 2074]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASHADHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

का.आ. 2351(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 20 जुलाई, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

अध्याय	धारा
I	धारा 2 [खंड(4), खंड(13), खंड(14), खंड(16), खंड(40) के सिवाय]
II	धारा 3 से 9 (दोनों धाराएं सम्मिलित);
IV	धारा 28 से 73 (दोनों धाराएं सम्मिलित); [धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड- (iv) के सिवाय]
V	धारा 74 से 81 (दोनों धाराएं सम्मिलित);
VI	धारा 82 से 87 (दोनों धाराएं सम्मिलित);
VII	धारा 90 और 91; [धारा 88, धारा 89, धारा 92 और धारा 93 के सिवाय]

VIII	-धारा 95, धारा 98, धारा 100, -धारा 101 [उप-धारा 2 के खंड (च) से (ड) तथा खंड (यछ), (यज) और (यझ) के सिवाय] -धारा 102, धारा 103, धारा 105, धारा 106, धारा 107 [धारा 94, धारा 96, धारा 97, धारा 99, धारा 104 के सिवाय]
------	---

[फा. सं. जे-9/1/2020-सीपीयू]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2020

S.O. 2351(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby appoints the 20th day of July, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Chapter	Sections
I	Section 2 [Except clauses (4), (13), (14), (16), (40)]
II	Sections 3 to 9 (both inclusive);
IV	Sections 28 to 73 (both inclusive); [Except sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 58.]
V	Sections 74 to 81 (both inclusive);
VI	Sections 82 to 87 (both inclusive);
VII	Sections 90 and 91; [Except sections 88,89,92 & 93]
VIII	-Sections 95, 98, 100, -Section 101 [Except clauses (f) to (m) and clauses (zg), (zh) and (zi) of sub-section 2]. -Sections 102, 103, 105, 106, 107 [Except sections 94, 96,97,99, 104]

[F. No. J-9/1/2020-CPU]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.